न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 51/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. रतना पिता काना जी मीणा, निवासी बारापाल (फलावड़ी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. जोईता पिता काना जी मीणा, निवासी बारापाल (फलावड़ी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हंगराम पिता काना जी मीणा, निवासी बारापाल (फलावड़ी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मुख्य वन प्रबन्धक, वन विभाग, उदयपुर (राज.)
2. रेन्जर, वन विभाग, रेन्ज परसाद, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. जमनालाल पिता भेरूलाल जी महाजन, निवासी खरपीणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 06–07–2017 प्रकरण संख्या 221/2013

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री के0 एल0 सिंघवी अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक 1, 2, 4

–––::–––

निर्णय दिनांक

18–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बारापाल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमि स्थित है, जो वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु 2 वर्ष पूर्व वन विभाग ने कोट बनाकर कब्जा कर लिया। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर कब्जा पुनः सिपुर्द कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दर्ज होने पर प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 06–07–2017 से वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें राजस्व कैम्प में पत्रावली रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी गयी तथा उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर मनन किया गया तो यह पाया कि राजस्व कैम्प में अपीलान्टगण को सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट 1, 2 व 4 की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए, जबकि

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि पूर्व में भूमियां अपीलान्ट के पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित थी तथा उनका कब्जा था एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु वर्ष 2011 में वन विभाग द्वारा कोट बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में अपीलान्ट को सुने बिना ही उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित भूमि वन विभाग की होकर उनका कब्जा है। अपीलान्ट अथवा उनके पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए डिक्री भी जारी की गयी है, जिसके लिए इस न्यायालय में अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लाई होती है, किन्तु अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है, जो प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाकर

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2017 यथावत रखी जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर